समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक 138/चुनाव, दिनांक 30-03-2014 के द्वारा थाना अध्यक्ष, आलमनगर के प्रतिवेदन पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी **श्रीमती उमा सिंह पति डॉ0 शशि मोलेश्वर प्रसाद सिंह, सा0 + थाना आलमनगर जिला मधेपुरा** के लाईसेंसी दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/85(आलमनगर थाना) को रद्द करने की अनुशंसा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में सूचना समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 की तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा में सूचना अंकित कर नहीं समर्पित किया गया, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 235/श0, दिनांक 12.12.2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1963 के नियम-63 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त -9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-01/85(आलमनगर थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त स्पष्टीकरण का जवाव अब तक समर्पित नहीं किया है और न ही अपना कोई पक्ष रखा है। स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सभा आम चुनाव-2014 के मद्देनजर रखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को संबंधित थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन दिनांक 14.03.14 एवं 15.03.14 को कराने का हेतु आम सूचना जारी किया गया था। अंचल अधिकारी, आलमनगर एवं थानाध्यक्ष, आलमनगर के प्रतिवेदनानुसार अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी को पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। समुचित अवसर दिए जाने के वावजूद भी शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना, यह अनुज्ञप्ति प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ अनुज्ञप्ति शर्त्त का उल्लंघन एवं मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचार करते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त-9ए का उल्लंघन मानते हुए **श्रीमती उमा सिंह पति डॉ शशि मोलेश्वर प्रसाद सिंह, सा0 + थाना आलमनगर जिला मधेपुरा** के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0- 01/85 (आलमनगर थाना) को **''रद्द''** किया जाता है। उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित बन्दुक सं0-114947 को धारा-21 के अन्तर्गत आलमनगर थाना अथवा मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा में तथा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में जमा करने का आदेश दिया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी उक्त आदेश का अनुपालन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जमा करने पर कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्ति पुस्त में **''रद्द''** प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 211 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 10-4-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, आलमनगर/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : **श्रीमती उमा सिंह पति डॉ0 शशि मोलेश्वर प्र0 सिंह, सा0 + थाना आलमनगर जिला मधेपुरा** को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

10/04/14

जिला दंडाधिकारी,

मधेपुरा।